



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2225]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 12, 2016/भाद्र 21, 1938

No. 2225]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 12, 2016/BHADRA 21, 1938

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय  
(कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2016

का. आ. 2925 (अ).— निरस्तीकरण एवं संशोधन अधिनियम, 2016 (2016 का 23) दिनांक 6 मई 2016 के द्वारा राष्ट्रीय तिलहन एवं वनस्पति तेल विकास (नोवोर्ड) बोर्ड अधिनियम, 1983 को निरस्त कर दिया गया है। तत्पश्चात नोवोर्ड बोर्ड को समाप्त किया जाता है।

[फा.सं. 2-2/2013-सीए-VI]

बी.राजेंद्र, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th September, 2016

S. O. 2925(E).— Repealing and Amending Act, 2016 (No. 23 of 2016) dated 6<sup>th</sup> May, 2016 has repealed the National Oilseeds and Vegetable Oils Development (NOVOD) Board Act, 1983. Consequently, the NOVOD Board is hereby wound up.

[F. No. 2-2/2013-CA-VI]

B. RAJENDER, Jt. Secy

4400 GI/2016